प्रेस नोट दिनाँक-06.11.2022

(1). फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस का उपयोग कर फर्जी यूपीआई आईडी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को 01 लाख 05 हजार के साथ गिरफ्तार किया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी साइबर/एसओजी टीम निरीक्षक श्री एमपी त्रिपाठी नेतृत्व में थाना कोतवाली कर्वी एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त राजाराम सिंह पुत्र अनरथ सिंह निवासी गिदवहा थाना मड़ावरा जनपद ललितपुर को धोखाधड़ी के 01 लाख 05 हजार रुपये, 01 अदद एण्ड्राइड मोबाइल, 02 अदद फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस तथा बैंक की पास बुक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

उल्लेखनीय है कि श्री राजकिशोर कुशवाहा पुत्र साधू प्रसाद निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति ने 01 लाख 11 हजार रुपये निकाल लिये थे, इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 456/22 धारा 419/420/411 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। साइबर सेल एवं थाना कोतवाली कर्वी की संयुक्त टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये विवेचनात्मक कार्यवाही से साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त राजाराम सिंह उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। साइबर सेल एवं थाना कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 05.11.2022 को अभियुक्त राजाराम सिंह उपरोक्त को धोखाधड़ी के 01 लाख 05 हजार रुपये, 01 अदद एण्ड्राइड मोबाइल, 02 अदद फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस तथा 01 अदद बैंक की पास बुक के साथ गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका

अभियुक्त द्वारा वादी की सिम को पोर्ट करने के नाम से फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस पर वादी का फिंगर प्रिंट लेकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वादी की सिम को रजिस्टर्ड कर नई यूपीआई आईडी का निर्माण करके कई बार में लगातार रुपये निकाले गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

अभियुक्त राजाराम सिंह पुत्र अनरथ सिंह निवासी गिदवहा थाना मड़ावरा जनपद ललितपुर

बरामदगीः-

1. धोखाधड़ी के 01 लाख 05 हजार रुपये
2. 01 अदद एण्ड्राइड मोबाइल
3. 02 अदद फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस
4. 01 बैंक की पास बुक

गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्रथम टीमः-

1. प्रभारी साइबर/एसओजी टीम श्री एमपी त्रिपाठी
2. आरक्षी लवकुश यादव
3. आरक्षी हिमांक द्विवेदी
4. आरक्षी सर्वेश यादव

द्वितीय टीमः-

1. उ0नि श्री रामाधार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. मुख्य आरक्षी फरीद उद्दीन
3. आरक्षी शिवम राजपूत
4. महिला आरक्षी रीना चौधरी

ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितो के कुल 76 हजार 299 रुपये साइबर सेल चित्रकूट द्वारा उनके बैंक खातों में कराये वापस

अपने खाते में वापस धनराशि पा पीड़ितों के खिले चेहरे

वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी श्री एम0पी0 त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये साइबर अपराध के 03 पीड़ितों के कुल 76 हजार 299 रूपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये।

(1). माह सितम्बर में आवेदक श्री हर्ष कुमार विश्वकर्मा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा शिकायत की गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से बिना जानकारी के धोखाधड़ी करके 54800/- रुपये निकाल लिया गया है।

(2). माह अक्टूबर में आवेदक शिवप्रकाश सिंह थाना कोतावाली कर्वी द्वारा शिकायत की गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से बिना जानकारी के धोखाधड़ी करके 15499/- रुपये निकाल लिया गया है

(3). माह अक्टूबर में आवेदक छंगू पाल थाना थाना कोतवाली कर्वी द्वारा शिकायत की गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से बिना जानकारी के धोखाधड़ी करके 6000/- रुपये निकाल लिया गया है।

साइबर सेल द्वारा अथक प्रयास करके उपरोक्त पांचों पीडितों को शत प्रतिशत रुपये बरामद कराया गया है।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय द्वारा साइबर सेल प्रभारी श्री एम.पी. त्रिपाठी, आरक्षी लवकुश यादव, आरक्षी हिमांक द्विवेदी, आरक्षी सर्वेश यादव के द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा की गयी।

जनमानस से अपील की जाती है कि गूगल पर किसी भी कम्पनी या बैंक का कस्टमर केयर का नम्बर ढूढने में बेहद सावधानी बरते तथा प्राप्त नम्बरो पर पूरी तरह भरोसा न करे और अपनी व्यक्तिगत व बैंकिग सम्बन्धी जानकारी किसी से भी साझा न करे। एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि रिमोट एक्सेस साफ्टवेयर का प्रयोग बेहद सावधानीपूर्वक करे, इससे साइबर अपराधियो द्वारा आपको खाते तक पहुंचकर आपके साथ आर्थिक रूप से धोखाधड़ी कर धनराशि निकाली जा सकती है। फोन पर कभी भी किसी प्रकार के लुभावने आफर प्राप्त करने हेतु कभी किसी को अपने बैंक, खाता, एटीएम न0, ओटीपी सम्बन्धी जानकारी न शेयर करे। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा यदि फोन पर पैसे भेजने की बात कहे तो खूब सोच समझ कर लेन-देन करें व किसी भी अनजान लिंक/ वेबसाइट आदि को न ओपन करे, इससे आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। आनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीददारी हेतु पूर्व भुगतान करते समय बेहद सावधानी बरते। सम्भव हो तो विक्रेता से पर्सनल मिले बिना लेन देन करने से बचे। अज्ञात कालर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ व कालोनी स्वीकृत किये जाने के नाम पर भी पैसो की मांग किये जाने पर ऐसे व्यक्तियो के खाते में पैसे जमा न करें तथा इसकी शिकायत निकटतम पुलिस थाने या राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करके करें या साईबर सेल की बेबसाइड www.cybercrime.gov.in पर भी कम्पलेंट कर सकते है।

जनपद के समस्त थानों पर भी साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा साइबर फ्रॉड के पीड़ितों की मदद की जाती है।

(3). दिनाँक-06.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(4). आज दिनांक 06.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 15 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 98/2014 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त चकुली सोनकर पुत्र महादेव निवासी हनुमान टोला कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2. मु0नं0 856/2014 धारा 279/304ए भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त साधूराम पुत्र ननकू निवासी रगौली थाना राजापुर 3. मु0अ0सं0 382/2005 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अभियुक्त गया प्रसाद उर्फ धुल्ली पुत्र जगपत निवासी रुपौली थाना राजापुर 4. मु0नं0 2242/2020 धारा 452/380/411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त बाबूराम पुत्र रामस्वरुप एवं 5. विशम्भर पुत्र द्वारिका निवासी रीठी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह
3. आरक्षी पंकज सिंह परिहार
4. आरक्षी विजय पटेल
5. आरक्षी जगभान
6. आरक्षी लवलेश यादव
7. आरक्षी धीरेन्द्र यादव
8. आरक्षी आकाश यादव
9. आरक्षी अजय रजक
10. आरक्षी अजय वर्मा
11. आरक्षी शुभम त्रिपाठी

(ii). उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा (1). मु0नं0 2256/2020 धारा 457/380/411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त देशराज केवट पुत्र ननकी केवट निवासी चांदी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट (2). मु0नं0 1184/2018 धारा 04/21 खनिज अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त संतोष पुत्र शिवनारायण निवासी तीर धुमाई गंगू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट तथा (3). मु0नं0 6541/2014 धारा 147/148/452/323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त भार्गव चतुर्वेदी पुत्र राममोहन निवासी बिहरवां थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता
3. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा

(iii). वरि0उ0नि0 श्री कमलेश कुमार थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0नं0 677/2022 धारा 323/504/506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त 1. राममिलन पुत्र होरिल 2. कल्लू पुत्र होरिल 3. होरिल पुत्र बद्री निवासी बरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा मु0नं0 832/16 धारा 211/500 भादवि0 के वारण्टी 4. अभियुक्त रविकरन पुत्र सत्तिदीन निवासी हटवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री कमलेश कुमार थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री मेवालाल
3. उ0नि0 श्री विजय बहादुर
4. उ0नि श्री बालकिशुन

(iv). उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं0 460/19 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कृष्ण कुमार शुक्ला पुत्र बृजेश शुक्ला निवासी भुजौली माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी धर्मेन्द्र दांगी

(v). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना रैपुरा तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं0 139/19 धारा 323/34/504/506 भादवि0 के वारण्टी सोमदत्त पुत्र सुंदरलाल निवासी बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना रैपुरा
2. उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव

(vi). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री योगेश कुमार तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 19/22 धारा 354/452 भादवि व 3(2) (5) एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त गौरीशंकर पुत्र रामदत्त पटेल निवासी ग्राम लपावं थाना बरगढ चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री योगेश कुमार तिवारी
2. उ0नि0 श्री कृपानंदन शर्मा

3. मुख्या आरक्षी राजेश यादव

4. आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा

(vii). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राजोल नागर एवं उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं 600/2014 धारा 452/324/323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त चुनकावन पुत्र बाबू खान निवासी बगलई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राजोल नागर
2. आरक्षी अरविन्द सोनी
3. आरक्षी प्रकाश मिश्रा